निर्णय वइजलास श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छीपाबड़ौद जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 04/17 प्रार्थना पत्र
दायरा दिनांक :– 05.04.2017
निर्णय दिनांक :– 25.04.2017

उनवान

कमलादेवी पत्नि प्रेमसिंह जाति महाजन निवासी छीपाबडौद तहसील छीपाबडौद

बनाम

राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साहब तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां राज.।

वाद अन्तर्गत 136 एल आर.एक्ट
निर्णय दिनांक :– 25.04.2017

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री अशोक कुमार पारीक वादी

अभिभाषक प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट विरूद्ध अप्रार्थी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि भूमि खसरा नंबर 468/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 469 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 470/1 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 472 रकबा 13 बिस्वा, कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा मौजा पछाड तहसील छीपाबडौद में स्थित है। जो मुताविक जमाबन्दी संख्या 46 संवत 2071–74 से प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही हैं जिसमें प्रार्थिया का नाम कमलाबाई के स्थान पर गप्पूबाई जोजे प्रेमसिंह कौम महाजन सा0 छीपाबडौद से दर्ज हो रहा हैं। प्रार्थिया का सही एवं वास्तविक नाम कमलादेवी है तथा प्रार्थिया के नाम भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 771608227174 में भी प्रार्थिया का नाम कमलादेवी दर्ज है तथा प्रार्थिया के नाम इसी ग्राम पछाड तहसील छीपाबडौद में स्थित खाता संख्या 21 में स्थित आराजी ख0नं0 69, 96, 100, में भी प्रार्थिया का नाम कमलादेवी जोजे प्रेमसिंह कौम महाजन दर्ज है, जबकि उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गप्पूबाई जोजे प्रेमसिंह दर्ज हो रहा है, इसलिए प्रार्थिया उक्त वर्णित आराजी में अपना नाम गप्पूबाई के स्थान पर कमलादेवी दर्ज करवाने की कानूनी अधिकारी है। उक्त वर्णित आराजी में प्रार्थिया का नाम गप्पूबाई दर्ज होने के कारण तथा प्रार्थिया के नाम दस्तावेज जैसे मतदाता पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड व अन्य राजस्व रिकार्ड में कमला देवी दर्ज होने से प्रार्थिया को उक्त वर्णित आराजियात के संबन्ध में कार्यवाही करने में असुविधा हो रही है, इसलिए प्रार्थिया उक्त वर्णित आराजी में अपना नाम गप्पूबाई के स्थान पर कमला देवी शुद्व करवाना चाहती हैं। उक्त वर्णित आराजी में अपना नाम गप्पूबाई के स्थान पर कमला देवी दर्ज करवाने के लिए तहसीलदार छीपाबडौद से दिनांक 04.04.2017 को निवेदन किया था लेकिन तहसीलदार छीपाबडौद ने प्रार्थिया का नाम गप्पूबाई के स्थान पर कमला देवी दर्ज करने से मना कर दिया

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner

माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की हिदायत दी। गप्पूबाई जोजे प्रेमसिंह जाति महाजन निवासी छीपाबडौद नाम की अन्य कोई महिला नहीं है। प्रार्थिया द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी से प्रार्थिया के संबन्ध में जांच रिपोर्ट ली गई। प्रार्थिया ने अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड संवत 2071–74 खाता संख्या 21, नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड संवत 2071–74 खाता संख्या 46, फोटो प्रति आधार कार्ड, पेश किया गया।

बहस वकील प्रार्थिया सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीया का कथन है, कि भूमि खसरा नंबर 468/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 469 रकबा 09 बिस्वा, खसरा नंबर 470/1 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 472 रकबा 13 बिस्वा, कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा मौजा पछाड में स्थित है। जो प्रार्थिया के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में चली आ रही हैं जिसमें प्रार्थिया का नाम कमलाबाई के स्थान पर गप्पूबाई जोजे प्रेमसिंह कौम महाजन सा0 छीपाबडौद से दर्ज हो रहा हैं। प्रार्थिया का सही एवं वास्तविक नाम कमलादेवी है, आधार कार्ड संख्या 771608227174 में भी प्रार्थिया का नाम कमलादेवी दर्ज हैं तथा प्रार्थिया के नाम इसी ग्राम पछाड तहसील छीपाबडौद में स्थित खाता संख्या 21 में स्थित आराजी ख0नं0 69, 96, 100, में भी प्रार्थिया का नाम कमलादेवी जोजे प्रेमसिंह कौम महाजन दर्ज है, जबकि खाता संख्या 46 की आराजी में प्रार्थिया का नाम गप्पूबाई जोजे प्रेमसिंह दर्ज हो रहा है, खाता संख्या 21 की आराजी में प्रार्थिया का नाम कमला देवी सही दर्ज हैं। प्रार्थिया का नाम गप्पूबाई के स्थान पर कमला देवी दर्ज किया जावे।

बहस अभिभाषक प्रार्थिया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड संवत 2071–74 खाता संख्या 21 में कमला देवी जोजे प्रेमसिंह जाति महाजन निवासी छीपाबडौद दर्ज होना पाया जाता है, नकल जमाबन्दी ग्राम पछाड संवत 2071–74 खाता संख्या 46 में गप्पूबाई जोजे प्रेमसिंह कोम महाजन निवासी छहपाबडौद, फोटो प्रति आधार कार्ड संख्या 771608227174 में भी प्रार्थिया का नाम कमलादेवी दर्ज होना पाया जाता हैं। इससे यह साबित होता है कि प्रार्थिया का सही नाम कमलादेवी है जो राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम पछाड संवत 2071–74 खाता संख्या 46 में कमलादेवी के स्थान पर गप्पूबाई दर्ज हो रहा है जो गलत हैं। प्रार्थिया का सही नाम कमला देवी है। प्रार्थिया का सही नाम आधार कार्ड एवं जमाबन्दी ग्राम पछाड खाता संख्या 21 संवत 2071–74 में कमला देवी दर्ज है। प्रार्थिया अपना नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम पछाड खाता संख्या 46 में गप्पूबाई के स्थान पर कमला देवी दर्ज करवाने की अधिकारी है। भ खां पुत्र अब्दुल सत्तार खां एवं महाराजसिंह सिंघवी पुत्र प्रेमसिंह सिंघवी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत बताया कि कमलादेवी का घर का बोलता नाम गप्पूबाई है, कमलादेवी व गप्पूबाई एक ही महिला बताया हैं। तहसीलदार छीपाबडौद ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि ग्राम वासियान से जानकारी पर पाया कि गप्पूबाई पत्नि प्रेमसिंह का वास्तविक नाम कमला देवी पत्नि प्रेमसिंह जाति महाजन नि छीपाबडौद है। तहसीलदार छीपाबडौद ने गप्पूबाई पत्नि प्रेमसिंह के स्थान पर गप्पूबाई उर्फ कम पत्नि प्रेमसिंह दर्ज करने की अनुशंषा की गई है। प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किय न्यायौचित है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible] जिला बारा

(3)

: क्रियात्मक आदेश :

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम पड़ाव के खसरा नंबर 468/1 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 469 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नंबर 470/1 रकबा 6 बीघा 13 बिस्वा, खसरा नंबर 472 रकबा 13 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 8 बीघा 01 बिस्वा में दर्ज प्रार्थिया का नाम [illegible] के स्थान पर [illegible] एवं [illegible] दर्ज करने हेतु तहसीलदार छीपाबड़ौद को आदेशित किया जाता है। तहसीलदार छीपाबड़ौद को निर्णय कि प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

[illegible]

Scanned by CamScanner